[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 84/2021-सीमाशुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. ... (अ)-सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (6) और धारा 9ख की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ (पातित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण नियमावली, 1975 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (पातित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) दूसरा संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पातित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 में,-

(i) नियम 23, उप-नियम (2) में, शब्दों, कोष्ठक और अंक, "उप-नियम (1)" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठक, अंको और अक्षरों, "उप-नियम (1क) या (1ख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 28 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**29. अवशोषणरोधी समीक्षा** - (1) इस अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाये गये किसी प्रतिपाटन शुल्क को तब अवशोषित माना जा सकता है जब भारत से बाहर किसी अन्य देश के मामले में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन लागत में या निर्यातक देशों से भारत में आयातित ऐसी वस्तुओं के बिक्री मूल्यों में कमी किये बिना निर्यातक देश या देशों से आयातित ऐसी वस्तुओं का निर्यात मूल्य, प्रतिपाटन शुल्क को लगाये जाने के बाद, कम हो जाता है।

(2) जहां प्रतिपाटन शुल्क के अधीन कोई वस्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समावेश माना जाता है, और एतदद्वाराइस तरह के शुल्क को अप्रभावी किया जाता है अथवा किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, प्रतिपाटन शुल्क के रूप में या आधार पर संशोधन, या पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रतिपाटन शुल्क या दोनों की मात्रा की सिफारिश कर सकता है और पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति में उचित परिवर्तन या समायोजन, यदि आवश्यक हो, क्रमशः नियम 10 और नियमावली के अनुबंध III के प्रावधानों के अनुसार, किया जा सकता है।

(3) घरेलू उद्योग या कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख से सामान्यतया दो वर्षों के भीतर अवशोषित-रोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करेगा :

परन्तु यह कि किसी मामले में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने पर, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी दो साल की समाप्ति के बाद भी इस तरह की शुरुआत के लिए एक आवेदन स्वीकार कर सकता है :

परन्तु यह और कि तथापि, कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने के लिए बारह महीने से कम शेष बचे हों।

30. अवशोषण का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत - (1) नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के किसी भी कथित अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक लिखित आवेदन प्राप्त होने पर या घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी ओर से एक जांच शुरू कर सकता है।

(2) आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम 29 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में एक अवशोषण-रोधी जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे।

(3) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से जांच शुरू कर सकता है यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) के तहत नियुक्त प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है या अन्य स्रोत, कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के अवशोषण की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

(4) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी लागू प्रतिपाटन शुल्क के किसी कथित अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू कर सकता है, जहां यह संतुष्ट है कि वस्तु के आयात प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित कर रहे हैं:

बशर्ते कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले निर्यातक देश की सरकार को सूचित करेगा।

(5) केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर, उस वस्तु के आयात के अनंतिम मूल्यांकन का सहारा ले सकती है, जो कथित रूप से प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित कर रही है और नियम 31 के उप-नियम (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक आयातक से गारंटी मांग सकती है।

(6) नियम 6 के तहत साक्ष्य और प्रक्रियाओं के प्रावधान इस नियम के तहत किए गए किसी भी जांच के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और समीक्षा केवल पाटन और क्षति मार्जिन की पुनर्गणना तक सीमित होगी क्योंकि मूल जांच में क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

(7) जांच शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसी कोई भी जांच समाप्त हो जाएगी :
परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, केंद्र सरकार इस अवधि को तीन महीने और बढ़ा सकती है।

31. **अवशोषण का निर्धारण** – (1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यह निर्धारित करने पर कि प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण मौजूद है, प्रतिपाटन शुल्क के रूप में या आधार पर संशोधन की सिफारिश कर सकता है, या प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा, या दोनों, पाए गए वस्तुओं के आयात के लिए मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क को समावेशित करने के लिए और इस तरह की परिवर्तन नियम 30 के तहत जांच शुरू होने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकती है।

(2) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(3) केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, इस तरह की वस्तु के आयात पर लागू प्रतिपाटन शुल्क, या प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा, या दोनों के रूप या आधार नियम 30 के तहत जांच शुरू करने की तारीख या ऐसी तारीख जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई हो कोसंशोधित कर सकती है।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल नियम अधिसूचना संख्या 2/1995-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 1 जनवरी, 1995 को सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 10/2021-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 75(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधन किया गया था।